मैसर्स श्री विवेक कुमार सिंह के पक्ष में स्वीकृत गाटा/खण्ड सं0–10/05 ग्राम–बेरी, तहसील व जनपद–हमीरपुर उ0प्र0 के क्षेत्रफल 36.437 हे0, (क्षमता 5,82,912.00 घन मी0/वर्ष) में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे हेतु परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक–06–03–2019 को प्रस्तावित परियोजना स्थल के निकट स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर बेरी क्षेत्र कुरारा, ग्राम–बेरी, तहसील व जनपद हमीरपुर में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित खनन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक परियोजना प्रस्तावक श्री विवेक कुमार सिंह पुत्र श्री राम विशाल सिंह निवासी गायत्री नगर, बबेरू, बाँदा (उ0प्र0) 201301 के आवेदन पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड के पत्र संख्या–एच 31561/सी–2/एनओसी–4377/बॉदा/19 दिनांक 17.01.2019, जो कि जिलाधिकारी जनपद–हमीरपुर को सम्बोधित तथा क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा एवं अन्य को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पर जिलाधिकारी जनपद–हमीरपुर द्वारा लोक सुनवाई हेतु अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0) जनपद–हमीरपुर को अधिकृत करने के उपरान्त अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0), अध्यक्ष लोक सुनवाई जनपद–हमीरपुर द्वारा उपरोक्त संदर्भित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति की लोक सुनवाई के आयोजन हेतु दिनांक 06.03.2019 को अपराह्न 03.00 बजे प्रस्तावित परियोजना के निकट परियोजना स्थल ग्राम–बेरी, तहसील व जनपद–हमीरपुर नियत की गई थी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 एवं यथा संशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" (हिन्दी) के बाँदा अंक एवं दैनिक समाचार पत्र "दि टाइम्स ऑफ इण्डिया" (अंग्रेजी) के हमीरपुर/वांदा के अंक में दिनांक 30–01–2019 को प्रकाशित करायी गयी थी ।

अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0), अध्यक्ष लोक सुनवाई जनपद–हमीरपुर की अध्यक्षता में उक्त लोक सुनवाई का आयोजन दिनांक 06.03.2019 को प्रस्तावित परियोजना के निकट स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर वेरी क्षेत्र कुरारा, ग्राम–बेरी, तहसील व जनपद हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नांकित लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0), अध्यक्ष लोक सुनवाई जनपद–हमीरपुर।
2. श्री विजय कुमार मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा।
3. श्री एस0के0 सिंह, ज्येष्ठ खान अधिकारी , खनिज विभाग, हमीरपुर।
4. श्री शरद चन्द्र पटेल, उपनिरीक्षक, पुलिस चौकी, ग्राम–वेरी, थाना–कुरारा, जनपद–हमीरपुर।
5. श्री विवेक कुमार सिंह पुत्र श्री राम विशाल सिंह निवासी–गायत्री नगर, बबेरू, जनपद–बॉदा परियोजना प्रस्तावक मैसर्स श्री विवेक कुमार सिंह ग्राम–बेरी, तहसील व जनपद–हमीरपुर उ0प्र0।
6. श्री ब्रजेश कुमार सिंह कालूकुआं बॉदा, जनपद–बॉदा।
7. श्री आर बी चौधरी, आर0क्यू0पी0 परामर्शी मैसर्स सर्विसिंग इन्वायरोमेन्ट एण्ड डेवेलपमेंट, बी 1/67, सेक्टर–जी, जानकीपुरम, लखनऊ।
8. श्री राज कुमार गौतम टीम सदस्य परामर्शी मैसर्स सर्विसिंग इन्वायरोमेंन्ट एण्ड डेवेलपमेंट, बी 1/67, सेक्टर–जी, जानकीपुरम, लखनऊ।

उपरोक्त के अतिरिक्त लोक सुनवाई के समय प्रस्तावित परियाजना से सम्बन्धित गॉव के ग्रामवासी भी उपस्थित थे।

— - 2

Scanned by CamScanner

उपरोक्त सम्बन्धित लोक सुनवाई को प्रारम्भ किये जाने की अनुमति अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0) ...क्ष लोक सुनवाई जनपद–हमीरपुर से प्राप्त करने के उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण ...र्ड, बॉदा द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित जनसमुदाय का अभिवादन करते ...ए उपरोक्त प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में सम्बन्धित विवरण से अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्तावित परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे खण्ड सं0–10/05 ग्राम–बेरी, तहसील व जनपद–हमीरपुर उ0प्र0 के क्षेत्रफल 36.437 हे0, (क्षमता 5,82,912 घन मी0/वर्ष) में प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित परियोजना के प्रस्तावक श्री विवेक कुमार सिंह पुत्र श्री राम विशाल सिंह निवासी–गायत्री नगर, बबेरू, जनपद–बॉदा हैं, जो कि उक्त लोक सुनवाई के समय बैठक में स्वयं उपस्थित थे।

उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व स्टेट इनवायरमेन्ट इम्पैक्ट असिसमेन्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मैसर्स परामर्श सर्विसिंग इन्वायरोमेंन्ट एण्ड डेवेलपमेंट, बी 1/67, सेक्टर–जी, जानकीपुरम, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया है। उक्त लोकसुनवाई के समय श्री आर बी चौधरी, आर0क्यू0पी0 एवं श्री राज कुमार गौतम अधिकृत प्रतिनिधि परामर्शी मैसर्स सर्विसिंग इन्वायरोमेंन्ट एण्ड डेवेलपमेंट, बी 1/67, सेक्टर–जी, जानकीपुरम, लखनऊ उपस्थित थे। श्री आर बी चौधरी आर0क्यू0पी0 अधिकृत प्रतिनिधि परामर्शी मैसर्स परामर्श सर्विसिंग इन्वायरोमेंन्ट एण्ड डेवेलपमेंट, बी 1/67, सेक्टर–जी, जानकीपुरम, लखनऊ को उपरोक्त संदर्भित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण/सर्वेक्षण आदि से अवगत कराने हेतु आमंत्रित किया गया।

श्री आर बी चौधरी, आर0क्यू0पी0 परामर्शी मैसर्स परामर्श सर्विसिंग इन्वायरोमेंन्ट एण्ड डेवेलपमेंट, बी 1/67, सेक्टर–जी, जानकीपुरम, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना के विस्तृत विवरण से अवगत कराने हेतु श्री राज कुमार गौतम टीम सदस्य परामर्शी मैसर्स परामर्श सर्विसिंग इन्वायरोमेंन्ट एण्ड डेवेलपमेंट, बी 1/67, सेक्टर–जी, जानकीपुरम, लखनऊ को निर्देशित किया गया।

श्री राज कुमार गौतम टीम सदस्य परामर्शी मैसर्स परामर्श सर्विसिंग इन्वायरोमेंन्ट एण्ड डेवेलपमेंट, बी 1/67, सेक्टर–जी, जानकीपुरम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त संदर्भित प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी जनपद–हमीरपुर के पत्र संख्या 495/खनिज–एम0एम0सी0 –तीस–विविध (2018–19) दिनांक 20.06.2018 के द्वारा सहमति पत्र(लेटर ऑफ इन्टेंट) सशर्त निर्गत किया गया है, इसके अतिरिक्त उपरोक्त संदर्भित प्रस्तावित परियोजना को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण समिति उ0प्र0 में प्रस्तुतिकरण के पश्चात पत्र संख्या–569/ Parya/SEAC/4483/2017 dated 12th December, 2018 टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (टोर) प्रदान किया गया है जिसके आधार पर पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट तथा पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनाई गई है जिसके अनुसार उक्त प्रस्तावित परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य बेतवां नदी के किनारे स्थित खण्ड सं0–10/05 ग्राम–बेरी, तहसील व जनपद–हमीरपुर उ0प्र0 के क्षेत्रफल 36.437 हे0, (क्षमता 5,82,912 घन मी0/वर्ष) होगी तथा उक्त प्रस्तावित परियोजना के प्रस्तावक श्री विवेक कुमार सिंह पुत्र श्री राम विशाल सिंह निवासी–गायत्री नगर, बबेरू, जनपद–बॉदा हैं। इनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना स्थल से 10 किमी0 की त्रिज्या में स्थित पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अनुश्रवण/आंकड़ों के एकत्रण का कार्य स्टेट इनवायरमेन्ट इम्पैक्ट अथॉरिटी द्वारा दी गयी टर्म्स ऑफ रिफरेन्स के बिन्दुओं के अनुरूप की गयी थी तथा उक्त आंकडों के आधार पर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी थी तथा उसकी एक–एक प्रति अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी

Mishra

--3

Scanned by CamScanner

लय हमीरपुर, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, हमीरपुर एवं जिला पंचायत हमीरपुर में जनता सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु उपलब्ध कराई गई थी।

उक्त संदर्भित प्रस्तावित परियोजना का खनन क्षेत्र–बेतवां नदी, के समीप स्थित है। संदर्भित क्षेत्र रिस्थितिकीय संवेदनशील स्थान (वन्यजीव अभ्यारण, राष्ट्रीय उद्यान, बायोलाजिकल रिजर्व, अन्य जीव कोरिडोर) से 10.0 किमी0 के परिधि के बाहर स्थित है। प्रस्तावित परियोजना के प्रस्तावित स्थल का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से विभिन्न घटकों का आधारभूत अध्ययन किया गया तथा सम्बन्धित क्षेत्र में व्यापक गुणता के नमूने विभिन्न स्थानों पर, ध्वनि स्तर की जॉच विभिन्न स्थानों पर की गयी है तथा सतही जल गुणता के नमूने भूजल गुणता के नमूने व मृदा के नमूने एकत्रित कर सम्बन्धित गुणता की जांच की गयी। जिसके अनुसार आकड़े निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये।

उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को प्रदूषित न किया जाये तथा जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को कम करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था की जायेगी। उक्त संदर्भित परियोजना में जल की आवश्यकता–10.80 के0एल0डी0, होगी तथा 80 श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्टऐड बॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त प्रयुक्त वाहनो के परिवहन हेतु प्रयोग किये जाने वाली सडकों की मरम्मत एवं रख–रखाव परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय–समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा। बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रक्रिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को कार्यावधि के अन्तराल में सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। सी0ई0आर0 के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि को स्थानीय प्रशासन की देख–रेख में निर्देशानुसार ग्राम विकास के कार्य जैसे–वृक्षारोपण, हैण्डपम्प, सोलर लाइट, निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक विद्यालय भवन की मरम्मत एवं शौचालय आदि के निर्माण कार्य कराये जायेगें। इस प्रकार उपरोक्त प्रस्तावित परियोजना के संचालन से खनन क्षेत्र के समीपवर्ती ग्रामवासियों/क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा जिसके फलस्वरूप क्षेत्र के वातावरण एवं ग्रामीणों के रहन सहन में सुधार होगा।

उपरोक्त के उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा द्वारा लोक सुनवाई के समय उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने शिकायते/आपत्तियां/सुझाव आदि प्रस्तुत किये जाने हेतु आमंत्रित किया गया।

प्रश्नः1–श्री भगवानदीन पुत्र श्री शिवराम ग्राम–बेरी तहसील व जनपद–हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में स्थित राजकीय नलकूप के जल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है जिसके कारण समीपवर्ती फसलों की सिंचाई में असुविधा का सामना करना पडता है इसके अतिरिक्त ग्रामीण सम्पर्क मार्ग बेरी–कदौरा मार्ग क्षतिग्रस्त है जिसके कारण लोगों का आवागमन सामान्य रूप से बाधित है इसकी मरम्मत का कार्य कराया जाय।

उत्तरः– श्री राज कुमार गौतम टीम सदस्य परामर्शी मैसर्स सर्विसिंग इन्वायरोमेंन्ट एण्ड डेवेलपमेंट, बी 1/67, सेक्टर–जी, जानकीपुरम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य से बन्द जल श्रोत खुल जाते है नदी की जल धारण क्षमता बढ जाती है तथा बाढ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से समीपवर्ती वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना क्षीण हो जाती है। पेय जल श्रोत सूखने/ग्राउंड वाटर लेबिल घटने का प्रमुख कारण जल का अत्यधिक दोहन एवं भूगर्भीय स्थिति है।

Scanned by CamScanner

जल की व्यवस्था हेतु सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार हैण्डपम्पों की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त ग्रामीण सम्पर्क मार्ग बेरी–कदौरा के मरम्मत का कार्य आवश्यकतानुसार कराया जायेगा।

प्रश्न:2–श्री रमेश श्रीवास पुत्र श्री बाबूलाल श्रीवास ग्राम–बेरी तहसील व जनपद–हमीरपुर द्वारा सुझाव दिया गया कि ग्रामवासियों को रोजगार मिलना चाहिए।

उत्तर:– श्री राज कुमार गौतम टीम सदस्य परामर्शी मैसर्स सर्विसिंग इन्वायरोमेंन्ट एण्ड डेवेलपमेंट, बी 1/67, सेक्टर–जी, जानकीपुरम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया कि योग्यता एव दक्षता के आधार पर लगभग 80 श्रमिकों को रोजगार दिया जायेगा।

प्रश्न:3–श्री सन्तराम पुत्र रामसजीवन , श्री महेन्द्र पाल पुत्र श्री महेश्वरी दीन एवं श्री बृज किशोर पुत्र श्री महेश पाल निवासी ग्राम–बेरी तहसील व जनपद–हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि नदी तट के समीप स्थित फसलों/बारी की क्षतिपूर्ति/मुआवजा दिया जाये।

उत्तर:– श्री राज कुमार गौतम टीम सदस्य परामर्शी मैसर्स सर्विसिंग इन्वायरोमेंन्ट एण्ड डेवेलपमेंट, बी 1/67, सेक्टर–जी, जानकीपुरम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया कि नदी तट के समीप स्थित फसलों/बारी की क्षतिपूर्ति स्थानीय प्रशासन के सहयोग से उचित मुआवजा दिया जायेगा।

प्रश्न:4–श्री कालिका प्रसाद पुत्र श्री अंगनू, निवासी मौदहा, तहसील मौदहा, जनपद–हमीरपुर, प्रधानाध्यापक मैसर्स आदर्श इण्टर कालेज, बेरी, तहसील एव जनपद–हमीरपु द्वारा सुझाव दिया गया कि विद्यार्थियों के विद्यालय पहुँचने एवं छूटने के समय खनिज से सम्वन्धित वाहनों का परिवहन बन्द कर दिया जाय अथवा सम्बन्धित वाहनों को धीमी गति से चलाया जाय। सम्बन्धित सम्पर्क मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाय तथा प्रेशर हार्न आदि का प्रयोग कम से कम किया जाय।

उत्तर:– श्री राज कुमार गौतम टीम सदस्य परामर्शी मैसर्स सर्विसिंग इन्वायरोमेंन्ट एण्ड डेवेलपमेंट, बी 1/67, सेक्टर–जी, जानकीपुरम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यार्थियों के विद्यालय पहुँचने एवं छूटने के समय खनिज से सम्बन्धित वाहनों का परिवहन अवरूद्ध कर दिया जायेगा अथवा सम्वन्धित वाहनों को धीमी गति से चलाया जायेगा। सम्बन्धित सम्पर्क मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जायेंगे तथा प्रेशर हार्न आदि का प्रयोग कम से कम किया जायेगा।

प्रश्न:5–श्री राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसजीवन, ग्राम–बेरी, तहसील मौदहा, जनपद–हमीरपुर, द्वारा सुझाव दिया गया कि समीपवर्ती सम्बन्धित ग्राम के लोगों को ही रोजगार मिलना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए खनन क्षेत्र एवं उसके आस–पास रिक्त भूमि पर अधिक से अधिक वृक्षारोपड का कार्य कराया जाय।

उत्तर:– श्री राज कुमार गौतम टीम सदस्य परामर्शी मैसर्स सर्विसिंग इन्वायरोमेंन्ट एण्ड डेवेलपमेंट, बी 1/67, सेक्टर–जी, जानकीपुरम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि समीपवर्ती सम्बन्धित ग्राम के लोगों को ही प्राथमिकता के आधार पर समीपवती सम्बन्धित ग्राम के लोगों को ही रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए खनन क्षेत्र एवं उसके आस–पास रिक्त भूमि पर अधिक से अधिक वृक्षारोपड का कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न:6–श्री ब्रह्मनारायण त्रिपाठी प्रतिनिधि प्रधान पति, ग्राम–बेरी निवासी ग्राम–बेरी, तहसील एवं जनपद–हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे क्षेत्र में लगभग 22 खदाने चिन्हित हैं यदि एक खदान में लगभग 50 श्रमिकों को रोजगार मिले तो गॉव की बेरोजगारी की अधिकाश समस्या का निराकरण सम्भव हो सकता है परन्तु वास्तव में ऐसा नही होता है। इसलिए समीपवर्ती ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाय इसका कडाई से पालन कराया जाय। ग्राउण्ड वाटर

Scanned by CamScanner

...ल के डाउन होने की समस्या के निराकरण हेतु समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हैण्ड पम्पों का ...ार कराया जाय तथा समीपवर्ती विद्यालय की बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसमें ...म्बन्धित परियोजना प्रस्तावक का भी सहयोग वांछित है।

उत्तरः— श्री राज कुमार गौतम टीम सदस्य परामर्शी मैसर्स सर्विसिंग इन्वायरोमेंन्ट एण्ड डेवेलपमेंट, बी 1/67, सेक्टर–जी, जानकीपुरम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि एक खदान में लगभग 80 श्रमिकों को रोजगार दिया जायेगा। ग्राउण्ड वाटर लेविल के डाउन होने की समस्या के निराकरण हेतु समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर हैण्ड पम्प की व्यवस्था की जायेगी तथा गॉव के विकास के लिए सामूहिक कार्यो में यथासम्भव योगदान दिया जायेगा।

श्री विवेक कुमार सिंह पुत्र श्री रामविशाल सिंह परियोजना प्रस्तावक मैसर्स श्री विवेक कुमार सिंह खण्ड सं0–10/05 ग्राम–बेरी, तहसील व जनपद–हमीरपुर उ0प्र0 द्वारा आश्वासन दिया गया कि परियोजना के प्रारम्भ होने पर स्थानीय लोगों को ही दक्षता एवं योग्यता के आधार पर ही अधिकांशतः रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा तथा सम्बन्धित श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीकरण भी कराया जायेगा। जिससे कि उनको शासन/स्थानीय प्रशासन द्वारा संचालित परियोजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। समीपवर्ती विद्यालयों का स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर जिला खनिज निधि से पीने के पानी के लिए सार्वजनिक स्थल पर हैण्डपम्प स्थापित किया जायेगा तथा स्थानीय विद्यालयों की बाउण्ड्री कराई जायेगी। खनिज वाहनों के परिवहन मार्गो पर समय–समय पर पानी का छिडकाव किया जायेगा एवं सम्बन्धित सम्पर्क मार्ग एवं रिक्त भूमि पर वृहद वृक्षारोपड का कार्य कराया जायेगा तथा उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड की भी व्यवस्था की जायेगी जिससे कि सम्भावित वायु प्रदूषण नियंत्रित हो सकेगा। इसके लिए ग्रामवासियों का भी सहयोग अपेक्षित है। प्रस्तावित परियोजना के प्रारम्भ होने पर खनन का कार्य नियमानुसार किया जायेगा किसी भी प्रकार की ओवरलोडिंग नही की जायेगी। नदी की जल धारा से खनन कार्य नही किया जायेगा। समीपवर्ती गांव के विकास के लिए योगदान दिया जायेगा जिससे कि स्थानीय लोगों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा।

श्री एस0के0 सिंह, ज्येष्ठ खान अधिकारी, खनिज विभाग, जनपद–हमीरपुर (उ0प्र0) द्वारा सुझाव दिया गया कि जिला खनिज निधि में जमा धनराशि से सम्बन्धित क्षेत्र का विकास कराया जायेगा इसके अतिरिक्त सीएसआर फण्ड की उपलब्ध धनराशि से भी ग्राम प्रधान के समन्वय से प्राप्त प्रस्ताओं पर यथाशीघ्र विचार कर सम्बन्धित ग्राम के विकास कार्य यथा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं रख–रखाव, वृक्षारोपड, पेय जल की व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प ,शौचालय तथा सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय आदि की बाउण्ड्री वाल का कार्य कराया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाता है कि खनन कार्य प्रारम्भ होने पर नियमानुसार ही खनन कार्य किया जाये तथा ओवर लोडिंग आदि का कार्य न किया जाये एवं ग्रामवासियों के सहयोग से ही खनन कार्य किया जाये जिससे कि उनके द्वारा खनन कार्य में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो।

उक्त के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) अध्यक्ष लोक सुनवाई जनपद–हमीरपुर द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रस्तावित परियोजना के प्रस्तावक द्वारा नदी की जल धारा से खनन कार्य नही किया जाये तथा नदी के किनारों से छेड–छाड भी नही किया जाये, भूजल स्तर से ऊपर ही नियमानुसार खनन कार्य किया जाये। प्रस्तावित परियोजना की अवधि 05 वर्ष हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपड के कार्य हेतु अधिकांश संख्या में वृक्षारोपड का कार्य प्रथम वर्ष में ही किया जाये जिससे कि प्रस्तावित परियोजना की अवधि समाप्ति के समय रोपित किये गये वृक्षों की पर्याप्त वृद्धि ,सुरक्षा एवं रख–रखाव के दृष्टिकोण से उनका संरक्षण किया जाना सम्भव हो सके। ग्रामीण सम्पर्क मार्ग को सुरक्षित रखा जाय जिससे कि

Scanned by CamScanner

वर्ती ग्राम वासियों का आवागमन बाधित न हो। ग्रामीण सम्पर्क मार्ग कन्दौरा–बेरी का स्थानीय ासन से समन्वय स्थापित कर जिला खनिज निधि से कराया जाये इसके अतिरिक्त जिन सम्पर्क मार्गो र खनिज वाहन का परिवहन होगा उसकी मरम्मत एवं रख–रखाव का कार्य समय–समय पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जायेगा।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) अध्यक्ष लोक सुनवाई जनपद–हमीरपुर द्वारा पुनः निर्देशित किया गया कि प्रस्तावित परियोजना में सैण्ड/मौरम के माइनिंग तथा परिवहन हेतु सम्बन्धित ग्रामवासियों को भी नियमानुसार परोक्ष/अपरोक्ष रूप में रोजगार उपलब्ध कराया जाय तथा खनन कार्य में लगे हुए श्रमिकों का जनसेवा केन्द्र के माध्यम से पंजीकरण कराया जाय जिससे कि भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ सम्बन्धित श्रमिकों को प्राप्त हो सके। यह भी अवगत कराना है कि ग्रामीणवासियो के लिए ट्रैक्टर अथवा अन्य हल्के वाहन से सैण्ड/ मौरम की लोडिंग/परिवहन हेतु उपयुक्त स्टैण्ड पोस्ट स्थल की व्यवस्था की जाय जिससे कि परियोजना प्रस्तावक को उनके प्रस्तावित खनन कार्य में सम्बन्धित ग्राम वासियों का यथा सम्भव सहयोग मिले तथा उनके व्यवसाय में भी किसी भी प्रकार का सम्बन्धित ग्राम वासियों द्वारा अवरूद्ध उत्पन्न न किया जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य वैधानिक रूप से ही किया जाये जिससे कि नदी की जलधारा को स्वच्छ रखना, शौचालय एवं पेय जल की उपयुक्त व्यवस्था की जाय। प्रस्तावित परियोजना के संचालन के समय उत्पन्न ठोस अपशिष्ठ (प्लास्टिक/घरेलू अपशिष्ठ) के एकत्रण उपचार एवं निस्तारण की उपयुक्त व्यवस्था की जाये। प्रस्तावित स्थल का वांछित पर्यावरणीय स्वीकृति के उपरान्त चिन्हांकन हेतु उपयुक्त मात्रा में पिलर स्थापित कर फैन्सिग का कार्य जाय तथा सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना के नाम, स्थल एवं अन्य विवरण का बोर्ड लगाया जाय इसके अतिरिक्त सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरा/स्कैनर आदि की भी व्यवस्था की जाये।

अन्त में उपरोक्त मन्तव्य के साथ अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) अध्यक्ष लोक सुनवाई जनपद–हमीरपुर से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद एवं लोक सुनवाई में उपस्थित जनसमुदाय/ग्रामवासियों आदि का आभार प्रकट करते हुए उक्त प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई के बैठक के समापन की घोषणा क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा द्वारा की गयी।

Mishra
06-3-2019
(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बॉदा।

6.3.19
(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर।

Scanned by CamScanner

...रण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-
...533 दिनांक-15/01/2016 यथासंशोधित के अनुपालन में मेसर्स
विवेक कुमार सिंह के पक्ष में पट्टाधारक श्री विवेक कुमार सिंह
... श्री राम विशाल सिंह निवासी- गायत्री नगर ब्लॉक बाँदा
द्वारा साधारण बालू/मौरम खनन हेतु प्रस्ताव पर परियोजना
स्थल गाटा नं0/खण्ड संख्या- 10/05 ग्राम- बेरी तहसील व
जनपद- हमीरपुर में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक- 06.03.19
के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति
का विवरण—

क्र0सं0	नाम व पदनाम	विभाग का नाम/गांव	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर
1.	श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	9454417604	[signature]
2.	श्री विनय कुमार मिश्र	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, बांदा	7839891916	
3.	श्री एस0के0 सिंह	खान अधिकारी	8887634730	[signature]
4.	आर0 बी0 चौधरी	पर्यावरणविद, [illegible]	7007142807	[signature]
5.	राजकुमार गौतम	Asst. manager महाप्रबंधक	6392978858	[signature]
6.	विवेक कुमार सिंह	गायत्री नगर ब्लॉक रोड बाँदा	9415569680	[signature]
7.	प्रिजेश कुमार सिंह	बालू क्रेशर बांदा	9628215693	[signature]
8.	ब्रह्मनारायण त्रिपाठी	प्रति0 प्रधान बेरी	8948996964	[signature]
9.	रामदयाल	बेरी	9559451562	रामदयाल
10.	भगवानदीन	बेरी	9453073249	[signature]
11.	शिवशंकर	बेरी	9695357313	शिवशंकर
12.	नरसिंग	बेरी	7380103071	

Scanned by CamScanner

13 हरीसिंह	बेरी	9519405233	
14 हरेन्द्र कुमार	बेरी	9695884768	
15 ब्रजकिशोर	बेरी		
16 इन्द्रपाल			
17 [illegible]राम	बेरी	7880685936	
18 [illegible]	बेरी		
19 [illegible]श कुमार	बेरी	9695266297	
20 Rahul	Beri	9518089507	Rahul
21 [illegible]	बेरी	9005734836	[illegible]
22 सतराम	बेरी	7510057770	सतराम
23 Jaychand	Beri	7300853657	Jaychand
24 हेमन्त कुमार [illegible]	बेरी	9519222264	[illegible]
25 [illegible] लक्ष्मण सिंह	बेरी	7521937419	[illegible]
26 [illegible]सिंह	बेरी		
27 Rahul Singh	बेरी	8127469926	Rahul.
28 [illegible]	बेरी		
29 रमेश	बेरी	9198032099	रमेश
30 [illegible]	बेरी	9559451568	[illegible]

Scanned by CamScanner